30

संख्याः– /II–2013–03(31)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कालोनी, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक29 अगस्त, 2013

विषयः– **सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1051/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27 (अन्य योजना) दिनांक 21.05.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0 20 के राज्य सैक्टर पक्ष में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के ऋषिकेश में गंगा की जलधारा को स्थायी रूप से त्रिवेणी घाट पर लाने हेतु मॉडल स्टडी, सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की योजना के लिए गठित आगणन के सापेक्ष अन्तर्गत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 60.18 लाख (₹ साठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 12.00 लाख (₹ बारह लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जाय। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

(ix) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाऊ बांध को सम्मिलित करते हुए) 03–निर्माण कार्य–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 329/XXVII(2)/2013, दिनांक 20 अगस्त, 2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित आगणन की छायाप्रति।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–1579 (1)/ II–2013–03(31)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4. अनुसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग–4) को मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 05/2012 के क्रम में।
5. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. कोषाधिकारी, देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

(3)